



न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

संख्या/वर्ग बनाम
 सख्तवाल / वगैरे जेकेला मरती

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्यवाही
23-02-18	<p>अभिलेख सं०-एम.....15...../2018 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी <u>सिनादीलु</u> के अप्राथमिकी सं०-04/18 दिनांक-15/02/18 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि <u>उमय पक्ष डाक द्वितीय पक्ष के साथ बन्ध का मगस की लेकर विवाद है।</u></p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उमय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उमय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उमय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रु० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि16-03-18..... को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> </div>	
16-03-18	<p>पीठाधीन-पदाधिकारी, नगर पंचायत बुलाव कार्य में व्यस्त। दिनांक 02-04-18 से रहें।</p>	

तिथि

26-10-18

अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अधिवक्ता बनरी। उभय पक्ष अधिवक्ता हापगवासी देबु अगली लेखि की माँग की गयी। दिनांक 16-11-18 को शरत।


26/10/18

16-11-18

अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अधिवक्ता बनरी। इकत वाद में 6 (छः) माह की अवधि पूर्ण हो चुकी है। अर्थात् वाद कालबाधित हो गया है। अतः वाद में अभिलेख की कारवाही बन्द की गयी है।


16/11/18